



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15082026-275490
CG-DL-E-15082026-275490

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 668]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 14, 2026/श्रावण 23, 1948

No. 668]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 14, 2026/SHRAVAN 23, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2026

आय-कर

सा.का.नि. 732(अ).—केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2026 (2026 का 4) की धारा 143 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लघु करदाताओं की विदेशी आस्तियों का प्रकटीकरण स्कीम नियम, 2026 है।

(2) ये 16 अगस्त, 2026 को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.— (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से वित्त अधिनियम, 2026 (2026 का 4) अभिप्रेत है;

(ख) “सूचकांकित अर्जन लागत” का वही अर्थ होगा जो आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 48 में उसका है;

(ग) “प्ररूप” से इन नियमों के साथ संलग्न कोई प्ररूप अभिप्रेत है;

(घ) “धारा” से वित्त अधिनियम, 2026 (2026 का 4) के अध्याय 4 की कोई धारा अभिप्रेत है; और

(ङ) “मूल्यांकन दिनांक” से 31 मार्च, 2026 अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु या आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या आय-कर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) या अधोषित विदेशी आय और आस्तियों पर कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 (2015 का 22) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके अधिनियम में हैं।

(3) अधिनियम और इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, “आय-कर प्राधिकारी” से, यथास्थिति, प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) अभिप्रेत होंगे।

(4) अधिनियम और इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, “अंतिम दिनांक” से 31 दिसंबर, 2026 अभिप्रेत है।

3. उचित बाजार मूल्य.—(1) अधिनियम की धारा 131 की उपधारा (1) के खंड (ट) के प्रयोजनों के लिए, आस्तियों का उचित बाजार मूल्य निम्नलिखित रीति से अवधारित किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) बुलियन, आभूषण या बहुमूल्य पत्थर का मूल्य वह होगा जो निम्नलिखित में से अधिक हो,—

(i) उसकी अर्जन लागत; और

(ii) वह कीमत, जो बुलियन, आभूषण या बहुमूल्य पत्थर मूल्यांकन दिनांक को खुले बाजार में विक्रय किए जाने पर सामान्यतः प्राप्त कर सकता है, जिसके लिए निर्धारिती ऐसे बुलियन, आभूषण या बहुमूल्य पत्थर के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए किसी विनियम या विधि के अधीन किसी देश या भारत से बाहर के विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र की सरकार या उसके किसी अभिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त मूल्यांकक से रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है:

परंतु जहां उपखंड (ii) के अनुसार मूल्यांकन नहीं किया जाता है, वहां सूचकांकित अर्जन लागत को उचित बाजार मूल्य माना जाएगा।

(ख) पुरातत्त्व संग्रहों, रेखाचित्रों, चित्रों, मूर्तियों अथवा किसी अन्य कलाकृति (जिसे इसमें इसके पश्चात् “कलात्मक कृति” कहा गया है) का मूल्यांकन निम्नलिखित में से जो अधिक हो, उसके आधार पर किया जाएगा—

(i) उसके अर्जन की लागत; और

(ii) वह कीमत, जो उक्त कलात्मक कृति का मूल्यांकन की दिनांक को खुले बाजार में विक्रय किए जाने पर सामान्यतः प्राप्त हो सकती है, जिसके लिए निर्धारिती, कलात्मक कृति के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ किसी देश या भारत से बाहर के विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र की सरकार अथवा उसके किसी अभिकरण द्वारा किसी विनियम या विधि के अधीन मान्यता-प्राप्त मूल्यांकक से रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है:

परंतु, जहां उपखंड (ii) के अनुसार मूल्यांकन नहीं किया गया है, वहां अनुक्रमित अर्जन लागत को उचित बाजार मूल्य माना जाएगा।

(ग) शेयरों और प्रतिभूतियों का मूल्यांकन—

(i) उत्कथित शेयरों और प्रतिभूतियों का उचित बाजार मूल्य वह होगा जो निम्नलिखित में से अधिक हो,—

(I) उसकी अर्जन लागत; और

(II) निम्नलिखित रीति से अवधारित कीमत—

(अ) मूल्यांकन की दिनांक को किसी स्थापित प्रतिभूति बाजार में ऐसे शेयरों और प्रतिभूतियों की उत्कथित न्यूनतम तथा अधिकतम कीमत का औसत; अथवा

(आ) जहां मूल्यांकन की दिनांक को किसी स्थापित प्रतिभूति बाजार में ऐसे शेयरों और प्रतिभूतियों में कोई कारोबार नहीं हुआ हो, वहां उस स्थापित प्रतिभूति बाजार में ऐसे शेयरों और प्रतिभूतियों की उस दिनांक को उत्कथित न्यूनतम तथा अधिकतम कीमत का औसत, जो मूल्यांकन की दिनांक से ठीक पूर्व की ऐसी दिनांक हो, जिस दिन ऐसे शेयरों और प्रतिभूतियों में उक्त प्रतिभूति बाजार में कारोबार हुआ हो।

(ii) अनुत्कथित साम्या शेयरों का उचित बाजार मूल्य निम्नलिखित में से जो अधिक हो, वह होगा—

(I) उसकी अर्जन लागत; और

(II) मूल्यांकन की दिनांक को ऐसे साम्या शेयरों का मूल्य, जो निम्नलिखित रीति से अवधारित किया गया हो—

अनुद्धृत साम्या शेयरों का उचित बाजार मूल्य = $[(\text{ए} + \text{बी} - \text{एल}) * (\text{पीवी})] / (\text{पीई})$

जहां—

ए = सभी आस्तियों का बही-मूल्य, जिसमें सराफा/बुलियन, आभूषण, बहुमूल्य पत्थर, कलात्मक कृति, शेयर, प्रतिभूतियां और अचल संपत्ति सम्मिलित नहीं हैं, और उसमें से निम्नलिखित घटाया जाएगा—

(i) समादत्त आय-कर की कोई रकम, यदि कोई हो, उसमें से दावा किए गए आय-कर प्रतिदाय की रकम, यदि कोई हो, घटाकर; और

(ii) आस्ति के रूप में दर्शाई गई कोई ऐसी रकम, जिसमें आस्थगित व्यय की अप्रमाणित/अमोर्टाइज न की गई रकम भी सम्मिलित है, जो किसी आस्ति के मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करती है;

बी = सराफा/बुलियन, आभूषण, बहुमूल्य पत्थर, कलात्मक कृति, शेयर, प्रतिभूतियों और अचल संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, जैसा कि इस नियम में अवधारित रीति से उपबंधित किया गया है;

एल = देयताओं का बही मूल्य, किंतु इसमें निम्नलिखित रकमों सम्मिलित नहीं हैं—

(i) साम्या शेयरों के संबंध में समादत्त पूंजी;

(ii) अधिमान शेयरों और साम्या शेयरों पर लाभांश के संदाय के लिए अलग रखी गई रकम;

(iii) आरक्षित निधियां और अधिशेष, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए, भले ही उसके परिणामस्वरूप प्राप्त अंक नकारात्मक हो, किन्तु इसमें मूल्यह्रास के लिए अलग रखी गई रकमों सम्मिलित नहीं होंगी;

(iv) कराधान के लिए किए गए किसी उपबंध को दर्शाने वाली कोई भी रकम, सिवाय उस आय-कर की रकम के, जो संदाय की गई हो, यदि कोई हो, उसमें से दावे किए गए आय-कर की वापसी की रकम, यदि कोई हो, को घटाने के पश्चात्, उस सीमा तक, जिस सीमा तक ऐसी रकम, लागू विधि के अनुसार बही लाभ के संदर्भ में देय कर से अधिक हो;

(v) अभिनिश्चित दायित्वों से भिन्न दायित्वों की पूर्ति के लिए किए गए उपबंधों को दर्शाने वाली कोई भी रकम;

(vi) संचयी अधिमान शेयरों के संबंध में देय लाभांश के बकाये से भिन्न आकस्मिक दायित्वों को दर्शाने वाली कोई भी रकम;

पीई = तुलन-पत्र में दर्शाई गई कुल समादत्त साम्या शेयर पूंजी;

पीवी = ऐसे साम्या शेयरों का समादत्त मूल्य:

परंतु जहां मद (II) के अनुसार मूल्यांकन नहीं किया जाता है, वहां अनुक्रमित अर्जन लागत को उचित बाजार मूल्य माना जाएगा;

(iii) किसी कंपनी में साम्या शेयर से भिन्न किसी असूचीबद्ध शेयर और प्रतिभूति का उचित बाजार मूल्य निम्नलिखित में से अधिक होगा—

(I) उसकी अर्जन लागत; और

(II) वह कीमत, जो मूल्यांकन दिनांक को खुले बाजार में विक्रय किए जाने पर सामान्यतः ऐसे शेयर या प्रतिभूति के लिए प्राप्त हो सकती है, जिसके संबंध में निर्धारिती, शेयर और प्रतिभूति के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए भारत से बाहर के किसी देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मूल्यांकक अथवा उसके किसी अभिकरण से, किसी विनियम या विधि के अधीन, मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है:

परंतु जहां मद (II) के अनुसार मूल्यांकन नहीं किया जाता है, वहां अनुक्रमित अर्जन लागत को उचित बाजार मूल्य माना जाएगा;

(घ) किसी अचल संपत्ति का उचित बाजार मूल्य निम्नलिखित में से अधिक होगा—

(i) उसकी अर्जन लागत; और

(ii) वह कीमत, जो मूल्यांकन दिनांक को खुले बाजार में विक्रय किए जाने पर सामान्यतः ऐसी संपत्ति के लिए प्राप्त हो सकती है, जिसके संबंध में निर्धारिती, अचल संपत्ति के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मूल्यांकक, जहां वह संपत्ति स्थित है, अथवा उसके किसी अभिकरण से, किसी विनियम या विधि के अधीन, मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है:

परंतु, जहां उपखंड (ii) के अनुसार मूल्यांकन नहीं किया जाता है, वहां अनुक्रमित अर्जन लागत को उचित बाजार मूल्य माना जाएगा;

(ङ) किसी बैंक में स्थित खाते का मूल्य निम्नलिखित होगा—

(i) खाता खोले जाने की दिनांक से मूल्यांकन दिनांक तक उस बैंक खाते में किए गए सभी जमा की कुल रकम; या

(ii) जहां ऐसे खाते की घोषणा काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और अधिरोपण अधिनियम, 2015 (2015 का 22) के अध्याय 6 के अधीन की गई हो और उपखंड (i) के अनुसार परिकलित खाते के मूल्य पर उस अध्याय के अधीन कर और शास्ति अधिरोपित की गई हो, वहां ऐसी घोषणा की दिनांक से उस बैंक खाते में किए गए सभी जमाओं की कुल रकम :

परंतु जहां किसी खाते में कोई जमा, उस खाते से की गई किसी निकासी की रकम से की जाती है, वहां खाते के मूल्य की गणना करते समय ऐसी जमा को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

दृष्टांत 1:

एक निर्धारिती ने वर्ष 2010 में एक विदेशी बैंक खाता खोला था। तब से बैंक खाते में निम्नलिखित जमा और निकासियां की गई हैं। यह मानते हुए कि की गई निकासियां बाद में पुनः बैंक खाते में जमा कर दी गईं, आस्ति का मूल्य निम्नलिखित रूप से अवधारित किया जाएगा:—

दिनांक	जमा	निकासी	आस्ति के मूल्य की गणना
01.04.2010	\$ 1,000	-	\$ 1,000
01.06.2011	\$ 500	-	\$ 500
01.08.2011	-	\$ 700	-
01.04.2012	\$ 500	-	-
01.08.2013	\$ 500	-	\$ 300
01.04.2019	\$2,500	-	\$ 2,500
01.06.2020	-	\$ 400	-
01.09.2021	\$ 1,000	-	\$ 600
01.05.2024	-	\$ 500	-
	कुल		\$ 4,900

इस आस्ति का मूल्य, अर्थात् \$ 4,900, इन नियमों के अधीन मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए 31 मार्च, 2026 को विद्यमान विनिमय दर के अनुसार रुपये में परिवर्तित किया जाएगा।

दृष्टांत 2:

यदि उपरोक्त दृष्टांत 1 में वर्णित निर्धारिती ने उक्त खाते में किए गए जमाओं को कालाधन (अघोषित विदेशी आय और आस्तियाँ) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 (2015 का 22) के अध्याय 6 के अधीन घोषित किया होता, तो आस्ति का मूल्य ऐसी घोषणा की दिनांक से किए गए जमा के योग के बराबर होगा। इस स्थिति में, यह मानते हुए कि की गई निकासियां बाद में पुनः बैंक खाते में जमा कर दी गईं, आस्ति का मूल्य निम्नलिखित रूप से अवधारित किया जाएगा:—

दिनांक	जमा	निकासी	आस्ति के मूल्य की गणना
01.04.2019	\$2,500	-	\$ 2,500
01.06.2020	-	\$ 400	-
01.09.2021	\$ 1,000	-	\$ 600
01.05.2024	-	\$ 500	-
	कुल		\$ 3,100

इस आस्ति का मूल्य, अर्थात् \$ 3,100, इन नियमों के अधीन मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए 31 मार्च, 2026 को विद्यमान विनिमय दर के अनुसार रुपये में परिवर्तित किया जाएगा।

(च) किसी व्यक्ति के उस फर्म या व्यक्तियों के संघ या सीमित दायित्व भागीदारी में हित का मूल्य, जिसका वह भागीदार या सदस्य है, निम्नलिखित रीति से अवधारित की गई भागीदार या सदस्य को आबंटित रकम का योग होगा:—

(i) मूल्यांकन की दिनांक को फर्म, व्यक्तियों के संघ या सीमित दायित्व भागीदारी की शुद्ध आस्तियां पहले अवधारित की जाएंगी;

(ii) फर्म, व्यक्तियों के संघ या सीमित दायित्व भागीदारी की शुद्ध आस्तियों में से वह भाग, जो उसकी पूंजी की रकम के बराबर है, उसके भागीदारों या सदस्यों के बीच उस अनुपात में आबंटित किया जाएगा, जिस अनुपात में उनके द्वारा पूंजी का अभिदाय किया गया है;

(iii) शुद्ध आस्तियों का अवशिष्ट भागीदारों या सदस्यों के बीच उस भागीदारी करार या संघ के करार के अनुसार आबंटित किया जाएगा, जिसमें फर्म या संघ के विघटन की स्थिति में आस्तियों के वितरण का उपबंध किया गया हो; और यदि ऐसा कोई करार उपलब्ध न हो, तो उस अनुपात में आबंटित किया जाएगा, जिसमें भागीदार या सदस्य लाभ में अंश प्राप्त करने के अधिकारी हैं;

स्पष्टीकरण.— इस खंड के प्रयोजनों के लिए, फर्म, व्यक्तियों के संघ या सीमित दायित्व भागीदारी की शुद्ध आस्ति (ए + बी - एल) होगी, जिसका अवधारण खंड (ग) के उपखंड (ii) में उपबंधित रीति से किया जाएगा;

(छ) किसी अन्य आस्ति का मूल्यांकन वह होगा जो निम्नलिखित में से अधिक हो,—

(i) उसके अर्जन की लागत अथवा उसमें विनिधान की गई रकम; और

(ii) वह कीमत जो उस आस्ति को मूल्यांकन दिनांक को स्वतंत्र पक्षों के बीच सामान्य वाणिज्यिक शर्तों पर किए गए संव्यवहार में विक्रय करने पर प्राप्त होती:

परंतु जहां उपखंड (ii) के अनुसार मूल्यांकन नहीं किया गया है, वहां अर्जन की अनुक्रमित लागत को उचित बाजार मूल्य माना जाएगा।

(2) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी आस्ति (बैंक खाते से भिन्न) का मूल्यांकन दिनांक से पूर्व अंतरण किया गया है, वहां ऐसी आस्ति का उचित बाजार मूल्य वह होगा जो उसके अर्जन की लागत और विक्रय मूल्य में से अधिक हो:

परंतु जहां ऐसी आस्ति का मूल्यांकन दिनांक से पूर्व बिना प्रतिफल के अथवा अपर्याप्त प्रतिफल के लिए अंतरण किया गया है, वहां आस्ति का उचित बाजार मूल्य वह होगा जो उसके अर्जन की लागत और अंतरण की दिनांक को उसके उचित बाजार मूल्य में से अधिक हो,।

(3) जहां किसी पुरानी आस्ति के अंतरण के संबंध में प्राप्त प्रतिफल अथवा बैंक खाते से निकाली गई रकम में से किसी नई आस्ति का अर्जन या निर्माण किया गया है, वहां, यथास्थिति, पुरानी आस्ति अथवा बैंक खाते का उपनियम (1) या उपनियम (2) के अनुसार अवधारित उचित बाजार मूल्य को नई आस्ति में विनिधान की गई प्रतिफल की रकम से घटा दिया जाएगा।

दृष्टांत 1:

भारत के बाहर स्थित एक गृह-संपत्ति (एच1) वर्ष 2014 में बीस लाख रुपये में क्रय की गई थी। इसका वर्ष 2017 में पच्चीस लाख रुपये में बिक्रय कर दिया गया और प्राप्त पच्चीस लाख रुपये एक विदेशी बैंक खाते (बीए) में जमा कर दिए

गए। वर्ष 2018 में तीस लाख रुपये में एक अन्य गृह-संपत्ति (एच2) क्रय की गई। एच2 में विनिधान बैंक खाते से रकम निकालकर किया गया। मूल्यांकन दिनांक को एच2 का अंतरण नहीं किया गया है और उसका मूल्य पचास लाख रुपये है। यह मानते हुए कि उपनियम (1) के खंड (ड) के अनुसार बैंक खाते का मूल्य सत्तर लाख रुपये है, आस्तियों का उचित बाजार मूल्य (एफएमवी) निम्नानुसार होगा:

एच1 का एफएमवी: (20 लाख रु. और 25 लाख रु. में से अधिक रकम) - 25 लाख रु. (बीए में निवेशित) = शून्य

बीए का एफएमवी: 70 लाख रु. - 30 लाख रु. (एच2 में निवेशित) = 40 रु. लाख

एच2 का एफएमवी: (30 लाख रु. और 50 लाख रु. में से अधिक रकम) = 50 लाख रु.

दृष्टांत 2:

वर्ष 2022 में सत्तर लाख रुपये की अधोषित विदेशी आय (एफआई) अर्जित की गई। वर्ष 2023 में भारत के बाहर स्थित एक अचल संपत्ति (एफआई) साठ लाख रुपये में क्रय की गई। एफए में विनिधान एफआई के उपयोग से किया गया। मूल्यांकन दिनांक से पूर्व एफए का अंतरण नहीं किया गया है और मूल्यांकन दिनांक को उसका मूल्य अस्सी लाख रुपये है। यह देखते हुए कि गणना के अनुसार एफआई का मूल्य सत्तर लाख रुपये है, आस्ति और आय का उचित बाजार मूल्य (एफएमवी) / मूल्य निम्नानुसार होगा:

एफआई का मूल्य: ₹ 70 लाख - ₹ 60 लाख (एफए में निवेश किया गया) = ₹ 10 लाख

एफए का एफएमवी: (60 लाख और 80 लाख रुपये में से अधिक) = ₹ 80 लाख।

(4) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमा) विनियम, 2016 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामनिर्दिष्ट अनुमत मुद्राओं में से एक मुद्रा में निर्धारित आस्ति के उचित बाजार मूल्य को मूल्यांकन की तारीख पर भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर के अनुसार भारतीय मुद्रा में परिवर्तित किया जाएगा।

(5) जहां किसी आस्ति का उचित बाजार मूल्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट अनुमत मुद्राओं में से किसी एक के अतिरिक्त किसी अन्य मुद्रा में निर्धारित किया जाता है, तो ऐसे मूल्य को उस देश या क्षेत्राधिकार के केंद्रीय बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट दर के अनुसार मूल्यांकन की तारीख पर संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर में परिवर्तित किया जाएगा, जहां आस्ति स्थित है और संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर में ऐसे मूल्य को भारतीय मुद्रा में भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर के अनुसार मूल्यांकन की तारीख पर परिवर्तित किया जाएगा :

परंतु जहां उस देश या क्षेत्राधिकार का केंद्रीय बैंक, जिसमें आस्ति स्थित है, अपनी स्थानीय मुद्रा से संयुक्त राज्य डॉलर में रूपांतरण की दर विनिर्दिष्ट नहीं करता है, तब ऐसी दर उस देश या क्षेत्राधिकार की विधि के अधीन विनियमित किसी अन्य बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी।

स्पष्टीकरण 1—इस नियम के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “स्थापित प्रतिभूति बाजार” से एक ऐसा विनियम अभिप्रेत है, जो आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है और किसी सरकारी इकाई द्वारा पर्यवेक्षित है, जिसमें बाजार स्थित है और जिसका विनियम पर व्यापार किए गए शेयरों का सार्थक वार्षिक मूल्य है ; “”

(ख) “एक्सचेंज के संबंध में व्यापार किए गए शेयरों का अर्थपूर्ण वार्षिक मूल्य” से अभिप्रेत है कि मूल्यांकन की तारीख से ठीक पहले के तीन कैलेंडर वर्षों के दौरान एक्सचेंज (या पूर्ववर्ती एक्सचेंज) पर व्यापार किए गए शेयरों का वार्षिक मूल्य एक बिलियन संयुक्त राज्य डॉलर से अधिक है ;

(ग) प्रत्येक वर्ग के शेयरों की श्रेणी के संबंध में “निरंतर आधार पर व्यापार की सार्थक मात्रा” से निम्नलिखित अभिप्रेत है, अर्थात् :--

(i) प्रत्येक ऐसे वर्ग में व्यापार, तुच्छ मात्राओं के अतिरिक्त, पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान कम से कम साठ कारोबारी दिनों में एक या अधिक स्थापित प्रतिभूतियों के बाजारों में किया जाता है; और

(ii) प्रत्येक ऐसे वर्ग में शेयरों की कुल संख्या जो पूर्व वर्ष के दौरान ऐसे बाजार या बाजारों में कारोबार करती है पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान उस वर्ग में बकाया शेयरों की औसत संख्या का कम से कम दस प्रतिशत है।

(घ) “उद्धृत शेयर या प्रतिभूति” से ऐसे शेयर या प्रतिभूति अभिप्रेत है जिसका किसी स्थापित प्रतिभूति बाजार में नियमित रूप से व्यापार की एक सार्थक मात्रा है और डीलरों द्वारा नियमित रूप से उद्धृत किया जाता है, जहां वे सक्रिय रूप से प्रस्ताव करते हैं, और वास्तव में, उन ग्राहकों से शेयर का क्रय करते हैं, और शेयर का विक्रय करते हैं, जो कारबार के सामान्य क्रम में डीलर से संबंधित नहीं हैं ;

(ङ) शेयर या प्रतिभूति के संबंध में “उद्धृत नहीं किया गया शेयर और प्रतिभूति” से कोई शेयर या प्रतिभूति अभिप्रेत है, जो उद्धृत शेयर या प्रतिभूति नहीं है।

4. घोषणाकर्ता द्वारा देय रकम--जहां घोषणाकर्ता, अधिनियम की धारा 132 के अधीन आयकर प्राधिकारी को घोषणा फाइल करता है, अधिनियम की धारा 133 की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट संपत्ति या आस्ति के संबंध में, उसके स्तंभ (4) की शर्तों के अधीन घोषणाकर्ता द्वारा देय रकम स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट होगी।

दृष्टांत 1 :

- 31 मार्च, 2026 को एक अघोषित विदेशी बैंक खाता (बीए) विद्यमान है। उस तारीख पर बीए का मूल्य ₹ 60 लाख है। निर्धारिती ने पहले के पिछले वर्षों के दौरान ₹ 20 लाख की अघोषित विदेशी आय (एफआई) भी अर्जित की है।
- मूल्यांकन की तारीख पर अघोषित संपत्ति और अघोषित विदेशी आय का कुल मूल्य बीए + एफआई (₹ 60 लाख + ₹ 20 लाख = ₹ 80 लाख) है, जो ₹ 1 करोड़ से अधिक नहीं है। इसलिए, मामला अधिनियम की धारा 133 में सारणी के क्रमांक 1 के अधीन आता है।
- देय कर की गणना:

(i) अघोषित आस्ति पर कर = 60 लाख रुपये का 30% = 18 लाख रुपये

(ii) अघोषित विदेशी आय पर कर = 20 लाख रुपये का 30% = 6 लाख रुपये

कुल कर = 18 लाख + 6 लाख = 24 लाख रुपये

- देय शास्ति की गणना :

कुल कर का 100% = 24 लाख रुपये

- अधिनियम की धारा 133 के अधीन देय कुल रकम है ; 24 लाख (कर) + 24 लाख (शास्ति) = 48 लाख रुपये।

दृष्टांत 2 :

- भारत के बाहर स्थित भूमि का एक भूखंड (एफए) 2015 में विदेश में अर्जित आय से अधिग्रहित किया गया था, जब निर्धारिती एक अनिवासी था। भारत में निवासी बनने के पश्चात्, निर्धारिती ने आय की विवरणी की सुसंगत अनुसूची में एफए को प्रकट नहीं किया।
- मूल्यांकन की तारीख पर एफए का मूल्य ₹ 3 करोड़ है (जो ₹ 5 करोड़ से अधिक नहीं है)। इसलिए, मामला अधिनियम की धारा 133 में सारणी के क्र.सं. 2 के अधीन आता है।
- देय रकम 1 लाख रुपए की फीस।

दृष्टांत 3 :

- भारत में कर के लिए प्रस्तावित आय से 2020 में विदेश में म्यूचुअल फंड (एमएफ) की कतिपय इकाइयां क्रय की गईं, जब निर्धारिती एक निवासी था। इसके पश्चात्, निर्धारिती ने आय की विवरणी की सुसंगत अनुसूची में एमएफ को प्रकट नहीं किया। मूल्यांकन की तारीख पर एमएफ का मूल्य ₹ 2.5 करोड़ है।
- निर्धारिती ने 2022 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में कुछ उद्धृत शेयरों और प्रतिभूतियों (क्यूएस) का भी अधिग्रहण किया। मूल्यांकन की तारीख पर क्यूएस का मूल्य ₹ 4 करोड़ है।
- वर्ष 2020 और 2022 में अर्जित इन दोनों आस्तियों का कुल मूल्य, अर्थात् एमएफ + क्यूएस ₹ 6.5 करोड़ है, जो ₹ 5 करोड़ से अधिक है। इसलिए, मामला अधिनियम की धारा 133 में सारणी के अधीन कवर नहीं किया गया है और निर्धारिती इस योजना के अधीन घोषणा करने के लिए पात्र नहीं है।

5. भारत के बाहर स्थित आस्ति या आय की घोषणा--(1) अधिनियम की धारा 133 में उल्लिखित किसी आस्ति या आय के संबंध में एक घोषणा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप 1 में आयकर प्राधिकारी को की जाएगी, जिससे धारा 133 (सारणी : क्र.सं. 1) के अधीन घोषित अघोषित आय और अघोषित आस्तियों का कुल मूल्य 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा और धारा 133 (सारणी : क्र.सं. 2) के अधीन घोषित अघोषित आस्तियों का कुल मूल्य ₹ 5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए।

(2) अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए, जहां प्ररूप 1 में घोषित किसी आस्ति (बैंक खाते के अतिरिक्त) का उचित बाजार मूल्य किसी निर्धारण या जांच कार्यवाही के दौरान निर्धारण अधिकारी या किसी अन्य आयकर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मूल्य से भिन्न है, इस प्रकार घोषित उचित बाजार मूल्य का केवल ऐसे भिन्नता के कारण, यदि ऐसी भिन्नता बीस प्रतिशत से अधिक नहीं है, ऐसी घोषणा को मिथ्या व्यपदेशन, तथ्यों के दमन या झूठी भौतिक जानकारी प्रस्तुत करने के आधार पर अमान्य या शून्य नहीं माना जाएगा।

दृष्टांत 1:

क्र.सं.	अघोषित मद/मदों की प्रकृति	वर्षवार विवरण (दृष्टांतात्मक)	कुल मूल्य (₹)	लागू सीमा	घोषणा करने की पात्रता
1	आस्ति + आय	वित्तीय वर्ष 2021-22 में अधिग्रहित विदेशी बैंक खाता (संपत्ति): 55 लाख (31.03.2026 पर मूल्य); वित्त वर्ष 2019-20 में अर्जित विदेशी आय: 25 लाख	₹ 80 लाख	₹ 1 करोड़	घोषणा करने की पात्रता
2	आस्ति + आय	वित्तीय वर्ष 2020-21 में अर्जित विदेशी संपत्ति (संपत्ति): 90 लाख (31.03.2026 पर मूल्य); वित्त वर्ष 2018-19 में अर्जित विदेशी आय: 30 लाख	₹ 1.20 करोड़	₹ 1 करोड़	घोषणा हेतु अपात्र

3	आय + आय	वित्तीय वर्ष 2017-18 में अर्जित विदेशी आय: 40 लाख; वित्त वर्ष 2020-21 में अर्जित विदेशी आय: 50 लाख	₹90 लाख	₹ 1 करोड़	घोषित करने के लिए पात्र
4	आय + आय	वित्त वर्ष 2016-17 में अर्जित विदेशी आय: 70 लाख; वित्त वर्ष 2019-20 में अर्जित विदेशी आय: 80 लाख	₹1.50 करोड़	₹ 1 करोड़	घोषणा हेतु अपात्र

दृष्टांत 2:

क्र.सं.	अघोषित मद/मदों की प्रकृति	वर्षवार विवरण (दृष्टांतात्मक)	कुल मूल्य (₹)	लागू सीमा	घोषणा करने की पात्रता
1	आय + आय	वित्तीय वर्ष 2020-21 में अधिग्रहीत विदेशी म्यूचुअल फंड: ₹2 करोड़ (31.03.2026 पर मूल्य); वित्तीय वर्ष 2022-23 में अधिग्रहीत विदेशी शेयर : 2.5 करोड़ (31.03.2026 पर मूल्य)	₹4.5 करोड़	₹5 करोड़	घोषित करने के लिए पात्र
2	आय + आय	वित्त वर्ष 2018-19 में अर्जित विदेशी अचल संपत्ति: 3 करोड़ रुपये (31.03.2026 पर मूल्य); वित्तीय वर्ष 2021-22 में अधिग्रहीत विदेशी प्रतिभूतियाँ: 3.5 करोड़ (31.03.2026 पर मूल्य)	₹6.5 करोड़	₹5 करोड़	घोषणा हेतु अपात्र

6. आयकर प्राधिकारी द्वारा आदेश--आयकर प्राधिकारी, शास्ति या फीस के साथ, घोषणाकर्ता द्वारा देय रकम के भुगतान के संबंध में, प्ररूप 2 में, धारा 135 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश इलेक्ट्रॉनिक रूप से पारित करेगा।

7. भुगतान की सूचना--घोषणाकर्ता धारा 135 की उपधारा (1) के अधीन आयकर प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश में निर्धारित रकम का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से करेगा, और ऐसे भुगतान की सूचना, जिसमें व्याज, यदि कोई हो, का भुगतान, भुगतान के प्रमाण के साथ प्ररूप 3 में आयकर प्राधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।

दृष्टांत:

31 मार्च, 2026 को एक अघोषित विदेशी बैंक खाता (एफए) विद्यमान है। उस तारीख पर एफए का मूल्य ₹ 80 लाख है। इसलिए, अधिनियम की धारा 133 (सारणी: क्र. सं. 1) के अधीन देय कुल रकम ₹ 48 लाख है।

मान लें कि आयकर प्राधिकारी द्वारा धारा 135 की उपधारा (1) के अंतर्गत आदेश 22 सितंबर, 2026 को पारित किया गया है।

आदेश वाले महीने का अंतिम दिन = 30 सितंबर, 2026।

(i) दो मास के भीतर भुगतान :

व्याज के बिना अंतिम तारीख = 30 नवंबर, 2026।

इसलिए, यदि निर्धारिती 25 नवंबर, 2026 को भुगतान करता है, तो देय रकम ₹48 लाख है।

(ii) दो मास के पश्चात्, लेकिन अतिरिक्त अवधि के भीतर भुगतान:

(क) 17 दिसंबर, 2026 पर भुगतान -

विलंब = 30 नवंबर, 2026 से 1 मास (या उसका भाग) से अधिक।

ब्याज = 48 लाख का 1% = ₹ 48,000/-

कुल देय रकम = ₹ 48,48,000/- ।

(ख) 23 जनवरी, 2026 पर भुगतान

विलंब की गणना = 30 नवंबर, 2026 से 2 मास (या उसके भाग) से अधिक ।

ब्याज = ₹48 लाख का 2% = ₹ 96,000/- ।

कुल देय रकम = ₹ 48,96,000/- ।

(ग) 5 फरवरी, 2026 पर भुगतान

अधिकतम अतिरिक्त अवधि 30 सितंबर, 2026 से चार मास है, अर्थात् 31 जनवरी, 2027 तक। चूंकि भुगतान अनुमत अवधि से अधिक है, इसलिए योजना का लाभ उपलब्ध नहीं है ।

8. भुगतान प्रमाणित करने वाला आदेश--आयकर प्राधिकारी, प्रपत्र 4 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान की सूचना प्रस्तुत करने के महीने के अंत से एक मास के भीतर, अधिनियम की धारा 139 के प्रयोजनों के लिए, घोषणाकर्ता द्वारा भुगतान प्ररूप 1 में घोषणा की वैधता को प्रमाणित करते हुए, एक आदेश पारित करेगा।

9. प्रक्रिया, प्ररूप और मानकों को निर्धारित करना--(1) यथास्थिति, प्रधान महानिदेशक आयकर (प्रणाली) या महानिदेशक आयकर (प्रणाली), घोषणा और उपक्रम के प्रस्तुत करने और सत्यापन की डेटा संरचना, मानक और प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित करेगा,--

(i) डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन, यदि डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता है; या

(ii) खंड (i) के अंतर्गत न आने वाले मामले में इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से

नियम 5 के अधीन प्ररूप 1 में घोषणा के लिए, नियम 6 के अधीन प्ररूप 2 में आदेश, नियम 7 के अधीन प्ररूप 3 में भुगतान की सूचना, और रूपविधान में उपांतरण सहित नियम 8 के अधीन प्ररूप 4 में घोषणा और भुगतान की वैधता को प्रमाणित करने का आदेश, यदि आवश्यक हो, तो इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए संगत बनाना ।

(2) आयकर के प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर के महानिदेशक (प्रणाली) भी उक्त प्ररूपों के संबंध में उचित सुरक्षा, अभिलेखीय और पुनर्प्राप्ति नीतियों को तैयार करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे ।

प्ररूप 1 [नियम 5 देखें] <u>छोटे करदाताओं की विदेशी आस्ति - प्रकटीकरण स्कीम नियम, 2026 के नियम 5 के अधीन घोषणा</u> [वित्त अधिनियम, 2026 (2026 का 4) का अध्याय- 4 देखें]		
भाग - क (मूल जानकारी)		
1. घोषणाकर्ता के ब्यौरे		
(i)	नाम	(टिप्पण 1 देखें)
(ii)	पता	(टिप्पण 2 देखें)
(iii)	पीएएन	
(iv)	पासपोर्ट संख्या	(टिप्पण 3 देखें)
(v)	पासपोर्ट के ब्यौरे	(टिप्पण 3 देखें) अपलोड करें
भाग- ख (आस्ति या आय के ब्यौरे)		
2. क.	(i) धारा 133 में सारणी के स्तंभ (2) के अनुसार आस्ति या आय का प्रकार (एक का चयन करें)	1. भारत के बाहर स्थित अप्रकटित आस्ति 2. अप्रकटित विदेशी आय 3. निर्धारिती द्वारा भारत के बाहर उद्भूत या प्रोदभूत होने वाली आय से उस अवधि के दौरान प्राप्त की गई भारत के बाहर स्थित आस्ति, जिसमें ऐसा निर्धारिती एक अनिवासी था, किंतु ऐसी आस्ति उसके द्वारा निवासी बनने पर आय की विवरणी में सुसंगत अनुसूची में घोषित नहीं की गई थी 4. भारत के बाहर स्थित आस्ति उस आय से प्राप्त की गई है जिसे निर्धारिती द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कर लगाने की प्रस्थापना की गई है, किंतु ऐसी आस्ति को उसके द्वारा आय की विवरणी में सुसंगत अनुसूची में घोषित नहीं किया गया था
	(ii) आस्ति के अधिग्रहण या आय की प्राप्ति का सुसंगत पूर्व वर्ष	YYYY-YY
	(iii) आस्ति के अधिग्रहण या आय की प्राप्ति के वर्ष के दौरान निवासी स्थिति (एक का चयन करें)	1. निवासी 2. अनिवासी 3. निवासी लेकिन साधारण रूप से निवासी नहीं (आरएनओआर)
	(iv) आस्ति के अधिग्रहण या आय की प्राप्ति का प्रमाण दर्शाने वाला	अपलोड

		कोई भी सुसंगत दस्तावेज, जैसा भी लागू हो।	
	(v)	घोषित आस्ति या आय की प्रकृति (कृपया किसी एक का चयन करें)	क 1. बैंक खाता क 2. अचल संपत्ति क 3. आभूषण क 4. कलात्मक कार्य क 5. शेयर और प्रतिभूतियां क 6. कोई अन्य आस्ति झ 1. कोई आय
	(vi)	घोषित आस्ति या आय का विवरण	(उपाबंध का सुसंगत भाग भरें)
ख		यदि अपेक्षित हो तो दोहराएं।	
3.		आस्ति या आय का समेकित विवरण (उपाबंध के अनुसार)	अपलोड
भाग- ग (मूल्यांकन के लिए विदेशी आस्तियों और आय का प्रवर्गीकृत सारांश)			
	(i)	भारत के बाहर स्थित अप्रकटित आस्ति का कुल उचित बाजार मूल्य [धारा 133 के अनुसार, सारणी: क्र.सं. 1 (क)]	
	(ii)	अप्रकटित विदेशी आय का कुल उचित बाजार मूल्य [धारा 133 के अनुसार, सारणी: क्र.सं. 1 (ख)]	
4.	(iii)	4(i) और 4(ii) का संयुक्त उचित बाजार मूल्य (₹1 करोड़ से अधिक नहीं)	
	(iv)	धारा 133 के अनुसार भारत के बाहर स्थित आस्ति का कुल उचित बाजार मूल्य, [सारणी: क्र.सं. 2 (क)]	
	(v)	धारा 133 के अनुसार बाहर स्थित आस्ति का कुल उचित	

	बाजार मूल्य, [सारणी: क्र.सं. 2 (ख)]	
(vi)	4(iv) और 4(v) का संयुक्त उचित बाजार मूल्य (₹5 करोड़ से अधिक नहीं)	
भाग-घ (देय रकम)		
5.	पंक्ति संख्या 4 (i) और 4 (ii) में दी गई आस्ति या आय पर देय कुल रकम (@ मद 4(iii) का 60%)]	
6.	पंक्ति संख्या 4(iv) और 4(v) में दी गई आस्ति पर देय कुल फीस [शून्य या ₹ 1 लाख दर्ज करें]	
7.	कुल देय रकम [5+6]	
सत्यापन मैं _____ (घोषणाकर्ता का नाम), स्थायी खाता संख्या _____, सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार, इस घोषणा में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है। मैं समझता हूं कि तथ्यों का कोई भी दुर्व्यपदेशन या छिपाना इस घोषणा को शून्य बना देगा। मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि इस घोषणा के संबंध में वित्त अधिनियम, 2026 की धारा 140 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। दिनांक: स्थान: हस्ताक्षर : नाम:		

टिप्पण :—

- व्यष्टिक के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त नाम के पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा। किसी अन्य मामले में भी, नाम पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा।
- पते में शामिल होंगे
 - देश/क्षेत्र,
 - फ्लैट/दरवाजा/भवन,

- iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर,
 - iv. पिन/ज़िप कोड,
 - v. डाकघर,
 - vi. क्षेत्र/स्थान,
 - vii. जिला,
 - viii. राज्य
3. पासपोर्ट के ब्यौरे तब भरे जाएंगे जब घोषणाकर्ता किसी भी वर्ष में अनिवासी होने का दावा करता है जिसके लिए घोषणा की गई है।
 4. ₹ में भरी जाने वाली रकम, जब तक कि अन्यथा उपबंधित न किया जाए।
 5. जहां मूल्यांकन नहीं किया जाता है, अधिग्रहण की अनुक्रमित लागत को उचित बाजार मूल्य समझा जाएगा।

प्ररूप 1 का उपाबंध

भारत के बाहर स्थित आस्ति या आय का विवरण

क1.	बैंक खाता	
(क)	बैंक का नाम	
(ख)	बैंक का पता	
(ग)	स्थान का देश	
(घ)	खाताधारक का नाम	
(ङ)	खाता संख्या	
(च)	खाता खोलने की तारीख	
(छ)	खाते में सभी जमाओं का योग	
(ज)	नियम 3 के अनुसार उचित बाजार मूल्य [[छ] से भिन्न होने पर पृथक् गणना प्रदान करें]	
क2.	अचल संपत्ति (मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न करें, यदि लागू हो)	
(क)	संपत्ति की प्रकृति (भूमि/भवन/फ्लैट आदि)	
(ख)	संपत्ति का पता	
(ग)	स्थान का देश	
(घ)	नाम, जिसके अधीन धारित है	
(ङ)	अर्जन की तिथि	
(च)	कुल अर्जन लागत	

	(छ)	अर्जन की अनुक्रमित लागत							
	(ज)	मूल्यांकन तिथि पर मूल्यांकनकर्ता द्वारा अनुमानित मूल्य, यदि लागू हो							
	(i)	नियम 3 के अनुसार उचित बाजार मूल्य							
क3.	आभूषण (मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न करे, यदि लागू हो)								
	(क)	सोना							
	(I)	शुद्धता		वजन		मूल्य			
	(II)	शुद्धता		वजन		मूल्य			
	यदि अपेक्षित हो तो दोहराएं।								
	(ख)	हीरा (1 कैरेट या अधिक)							
	(ख1)	खरीद का देश							
	(I)	कैरेट		कट		रंग	स्पष्टता		
	(II)	कैरेट		कट		रंग	स्पष्टता		
	यदि अपेक्षित हो तो दोहराएं।								
	(ग)	हीरा (1 कैरेट से कम) और अन्य						मूल्य	
	(घ)	अन्य बहुमूल्य धातुएं						मूल्य	
	(ङ)	खरीद का देश							
	(च)	अर्जन की तिथि							
	(छ)	कुल अर्जन लागत							
(ज)	अर्जन की अनुक्रमित लागत								
(झ)	मूल्यांकनकर्ता द्वारा अनुमानित आभूषणों का मूल्य, यदि लागू हो								
(ञ)	नियम 3 के अनुसार आभूषणों का उचित बाजार मूल्य								
ए4.	कलात्मक कार्य (मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न करे, यदि लागू हो)								
	(क)	कलात्मक कार्य की प्रकृति							
	(ख)	स्थान का देश							
	(ग)	नाम जिसके अधीन धारित है							
	(घ)	अर्जन की तिथि							
	(ङ)	अर्जन की लागत							
	(च)	अर्जन की अनुक्रमित लागत							

	(छ)	मूल्यांकनकर्ता द्वारा अनुमानित कलात्मक कार्य का मूल्य, यदि लागू हो			
	(ज)	नियम 3 के अनुसार उचित बाजार मूल्य			
क5.	शेयर और प्रतिभूतियां				
	(क)	उद्धृत शेयर और प्रतिभूतियां [नियम 3(1)(ग)(i)]			
		(i)	प्रतिभूति/शेयर का विवरण		
			(क)	जारीकर्ता का नाम	
			(ख)	प्रतिभूतियों/शेयरों की संख्या	
			(ग)	प्रतिभूति/शेयर का प्रकार	
		(ii)	स्थापित प्रतिभूति बाजार जहां उद्धृत किया गया है		
		(iii)	वह देश जहां प्रतिभूति बाजार स्थित है		
		(iv)	नाम जिसके अधीन धारित है		
		(v)	अर्जन की लागत		
		(vi)	अर्जन की तिथि		
		(vii)	नियम 3(1)(c)(I) के अधीन निर्धारित मूल्य		
		(viii)	मूल्यांकन की तिथि		
		(ix)	नियम 3 के अनुसार उचित बाजार मूल्य		
	(ख)	अउद्धृत साम्या शेयर [नियम 3(1)(ग)(ii)] (मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न करें, यदि लागू हो)			
		(i)	शेयर का विवरण		
			(क)	जारीकर्ता का नाम	
			(ख)	शेयरों की संख्या	
			(ग)	शेयर का प्रकार	
		(ii)	स्थान का देश		
		(iii)	नाम जिसके अधीन धारित है		
		(iv)	अर्जन की तिथि		
		(v)	अर्जन की लागत		
		(vi)	अर्जन की अनुक्रमित लागत		
		(vii)	नियम 3(1)(ग)(II) के अधीन निर्धारित मूल्य, यदि लागू हो		

		(viii)	मूल्यांकन की तिथि		
		(ix)	नियम 3 के अनुसार उचित बाजार मूल्य		
	(ग)	किसी कंपनी में इक्विटी शेयरों से भिन्न अउद्धृत शेयर और प्रतिभूतियां [नियम 3(1)(ग)(iii)] (मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न करें, यदि लागू हो) ।			
	(i)	प्रतिभूति/शेयर का विवरण			
		(क)	जारीकर्ता का नाम		
		(ख)	प्रतिभूतियों/शेयरों की संख्या		
		(ग)	प्रतिभूति/शेयर का प्रकार		
	(ii)	स्थान का देश			
	(iii)	नाम जिसके अधीन धारित है			
	(iv)	अर्जन की तिथि			
	(v)	अर्जन की लागत			
	(vi)	अर्जन की अनुक्रमित लागत			
	(vii)	नियम 3(1)(ग)(झ) के अधीन निर्धारित मूल्य, यदि लागू हो			
	(viii)	मूल्यांकन की तिथि			
	(ix)	नियम 3 के अनुसार उचित बाजार मूल्य			
क6.	कोई अन्य आस्ति (मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न करें, यदि लागू हो)				
	(क)	आस्ति का विवरण			
	(ख)	स्थान का देश			
	(ग)	नाम जिसके अधीन धारित है			
	(घ)	अर्जन की तिथि			
	(ङ)	अर्जन की लागत			
	(च)	अर्जन की अनुक्रमित लागत			
	(छ)	नियम 3(1) के अधीन निर्धारित मूल्य, यदि लागू हो			
	(ज)	मूल्यांकन की तिथि			
	(झ)	नियम 3 के अनुसार उचित बाजार मूल्य			

झ1.	कोई आय		
	(क)	आय का प्रकार	
	(ख)	उस स्थान का देश जहां आय अर्जित की गई थी	
	(ग)	अर्जित आय की रकम	

<u>प्ररूप 2</u> <u>[नियम 6 देखें]</u> <u>नियम 6 के अधीन आदेश</u> <u>लघु करदाताओं की विदेशी आस्तियां- प्रकटीकरण स्कीम नियम, 2026</u> <u>[वित्त अधिनियम, 2026 (2026 का 4) का अध्याय-4 देखें]</u>							
भाग-क (मूल जानकारी)							
1. घोषणाकर्ता का विवरण							
(i)	नाम	(टिप्पण 1 देखें)					
(ii)	पता	(टिप्पण 2 देखें)					
(iii)	पैन						
भाग-ख (संदेय रकम)							
2.		धारा 133 के अधीन घोषित आस्ति या आय का विवरण (सारणी: क्रम संख्या 1)	आस्ति/आय की प्रकृति	आस्ति के अर्जन या आय के उपार्जन का सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष	उचित बाजार मूल्य	वर्णन	अवस्थान
	(i)	आस्ति/आय	अ1. बैंक खाता अ2. अचल संपत्ति अ3. आभूषण अ4. कलात्मक कार्य अ5.1 उत्कथित शेयर और प्रतिभूतियां अ5.2 गैर-उत्कथित साधारण शेयर अ5.3. किसी कंपनी में साधारण शेयर के अलावा गैर-उत्कथित शेयर और प्रतिभूतियां				

		अ6. कोई अन्य आस्ति				
		II. कोई भी आय				
(ii)	(अपेक्षानुसार दोहराएँ)					
(iii)	कुल उचित बाजार मूल्य			(टिप्पण 3 देखें)		
3	संदेय कुल रकम	(टिप्पण 3 देखें)				
4.	धारा 133 के अधीन घोषित संपत्ति का विवरण (तालिका: क्रम संख्या 2)	आस्ति की प्रकृति (एक चुनें)	आस्ति के अर्जन का सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष	उचित बाजार मूल्य	वर्णन	अवस्थान
(i)	आस्ति	अ1. बैंक खाता अ2. अचल संपत्ति अ3. आभूषण अ4. कलात्मक कार्य अ5.1 उत्कथित शेयर और प्रतिभूतियां अ5.2 गैर-उत्कथित साधारण शेयर अ5.3. किसी कंपनी में साधारण शेयर के अलावा गैर-उत्कथित शेयर और प्रतिभूतियां अ6. कोई अन्य आस्ति				
(ii)	(अपेक्षानुसार दोहराएँ)					
(iii)	कुल उचित बाजार मूल्य			(टिप्पण 3 देखें)		
5.	कुल संदेय फीस	(टिप्पण 3 देखें)				
6.	संदेय कुल रकम [3 + 5]	(टिप्पण 3 देखें)				
भाग-ग [धारा 135(1) के अधीन आदेश]						
क. वित्त अधिनियम, 2026 की धारा 135(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्ररूप 1 में घोषणाकर्ता द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, घोषणाकर्ता को यह निदेश दिया जाता है कि वह इस प्रमाणपत्र की प्राप्ति के मास के आखिर से दो मास के भीतर पंक्ति 6 में यथा उल्लिखित संदेय राशि, अगर कोई हो, का संदाय करे।						

ख. उपरोक्त (क) में उल्लिखित अवधि के बाद किया गए संदेय के मामले में, रकम का संदाय ऊपर (क) में उल्लिखित अवधि के अंत से दो मास से अनधिक की अवधि के भीतर 1% प्रति मास (या उसके भाग) की दर से ब्याज के साथ किया जाएगा।

ग. ऊपर (ख) में उल्लिखित समय के भीतर संदेय रकम का संदाय न करने पर, प्ररूप-1 के अधीन की गई घोषणा शुन्य मानी जाएगी और यह माना जाएगा कि घोषणा कभी की ही नहीं गई।

आदेश सं.:

तारीख:

टिप्पणी :-

1. किसी व्यक्ति के मामले में, पहला, बीच का और आखिरी नाम बिना किसी संक्षिप्त प्ररूप के पूरा दिया जाएगा। किसी और मामले में भी, नाम पूर्ण रूप में दिया जाएगा।

2. पते में ये बातें होंगी:

- i. देश/क्षेत्र,
- ii. फ्लैट/दरवाजा/भवन,
- iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर,
- iv. पिन/जिप कोड,
- v. डाक घर,
- vi. क्षेत्र/इलाका,
- vii. जिला,
- viii. राज्य

3. जब तक कि अन्यथा उपबंध न किया जाए, रकम रु. में भरी जानी है।

प्ररूप 3 [नियम 7 देखें] <u>नियम 7 के अधीन संदाय की सूचना</u> <u>लघु करदाताओं की विदेशी आस्तियां- प्रकटीकरण स्कीम नियम, 2026</u> <u>[वित्त अधिनियम, 2026 (2026 का 4) का अध्याय-4 देखें]</u>		
भाग-क (मूल जानकारी)		
1.	घोषणाकर्ता का विवरण	
(i)	नाम	(टिप्पण 1 देखें)
(ii)	पता	(टिप्पण 2 देखें)
(iii)	पैन	
भाग-ख (संदाय की अवधि)		
2.	(i)	प्ररूप-2 में आदेश की प्राप्ति की तारीख
	(ii)	प्ररूप-2 में पंक्ति 6 के अनुसार संदेय कुल रकम

(iii)	प्रारंभिक नियत तारीख (प्ररूप-2 प्राप्त होने के मास के अंत से दो मास)	दि.-मा.-व.	
(iv)	(iii) में उल्लिखित तारीख को या उससे पहले संदाय की गई रकम (संदाय भाग के रूप में किया गया है, यदि कोई हो) (एक का चयन करें)	(टिप्पण 3 देखें)	
(v)	बकाया रकम (प्रारंभिक नियत तारीख के पश्चात् बकाया रकम) [2(ii) में से 2(iv) को घटाकर]	(टिप्पण 3 देखें)	
पंक्ति 3 तभी भरा जाना है जब 2(v) में कोई बकाया रकम हो।			
क्रम सं.	महीनों की संख्या जिसके लिए (या उसका कुछ हिस्सा) प्रारंभिक नियत तारीख के पश्चात् संदाय में विलंब हुआ	संदत्त बकाया रकम	बकाया रकम पर 1% प्रति मास की दर से संदेय अतिरिक्त ब्याज।
(i)		(टिप्पण 3 देखें)	(टिप्पण 3 देखें)
(ii)		(टिप्पण 3 देखें)	(टिप्पण 3 देखें)
दोहराएँ, यदि अपेक्षित हो			
संदेय कुल ब्याज			
भाग-ग (संदाय की सूचना)			
क्रम सं.	बैंक का बीएसआर कोड	जमा करने की तारीख	चालान की क्रम संख्या
(i)		दि.-मा.-व.	संदाय रकम (टिप्पण 3 देखें)
(ii)		दि.-मा.-व.	(टिप्पण 3 देखें)
(iii)		दि.-मा.-व.	(टिप्पण 3 देखें)
(iv)		दि.-मा.-व.	(टिप्पण 3 देखें)
दोहराएँ, यदि अपेक्षित हो			
संदत्त कुल रकम			(टिप्पण 3 देखें)
घोषणा			
वित्त अधिनियम, 2026 की धारा 135(4) के उपबंधों के अनुसार, और तारीख _____ के आदेश संख्या - _____ के अनुसार प्ररूप-2 में पदाभिहित प्राधिकारी से प्राप्त आदेश के अनुसरण में, _____ (घोषणाकर्ता का नाम)			
के संबंध में, जिसके पास पैर _____ है, यह सूचना दी जाती है।			
मैं सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार, इस घोषणा में दी गई जानकारी सही और पूरी है।			

तारीख:
स्थान:
हस्ताक्षर:
नाम:

टिप्पण :-

1. किसी व्यक्ति के मामले में, पहला, बीच का और आखिरी नाम बिना किसी संक्षिप्त प्ररूप के पूरा दिया जाएगा। किसी और मामले में भी, नाम पूर्ण रूप में दिया जाएगा।
2. पते में ये बातें होंगी:
 - i. देश/क्षेत्र,
 - ii. फ्लैट/दरवाजा/भवन,
 - iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर,
 - iv. पिन/जिप कोड,
 - v. डाक घर,
 - vi. क्षेत्र/इलाका,
 - vii. जिला,
 - viii. राज्य
3. जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए, रकम रु. में भरी जानी है।
4. प्रारंभिक दो मास से अधिक अवधि के लिए प्रति मास या उसके भाग के लिए एक प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज संदेय होगा, जो अधिनियम की धारा 135 (3) के अनुसार अधिकतम दो अतिरिक्त मास के अध्यक्षीन होगा।
5. इस स्कीम के अधीन संदाय विभिन्न भागों में किया जा सकता है।

प्ररूप 4		
[नियम 8 देखें]		
लघु करदाताओं की विदेशी आस्तियां- प्रकटीकरण स्कीम नियम, 2026		
के नियम 8 के अधीन घोषणा और रकम के संदाय की विधिमान्यता प्रमाणित करने वाला आदेश		
[वित्त अधिनियम, 2026 (2026 का 4) का अध्याय-4 देखें]		
भाग-क (मूल जानकारी)		
1.	घोषणाकर्ता का विवरण	
	(i) नाम	(टिप्पण 1 देखें)
	(ii) पता	(टिप्पण 2 देखें)

	(iii)	पैन	
2	संदाय का विवरण		
	(i)	संदेय रकम निर्धारित की गई	(टिप्पण 3 देखें)
	(ii)	आदेश संख्या (प्ररूप 2)	
	(iii)	आदेश की तारीख (प्ररूप 2)	
	(iv)	संदेय ब्याज, यदि कोई हो (प्ररूप 3 से)	(टिप्पण 3 देखें)
	(v)	घोषणाकर्ता द्वारा संदत्त रकम $[(i) + (iv)]$	(टिप्पण 3 देखें)
भाग-ख [धारा 135(5) के अधीन आदेश]			
..... (घोषणाकर्ता का नाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् घोषणाकर्ता कहा गया है) जिसके पास पैन है, ने वित्त अधिनियम, 2026 (अधिनियम) की धारा 132 के अधीन तारीख को पावती संख्या के साथ घोषणा की थी; और विहित आयकर प्राधिकारी ने आदेश संख्या तारीख द्वारा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार घोषणाकर्ता द्वारा संदेय रुपये की रकम अवधारित की है, जिसमें ऐसी संदेय रकम के पूर्ण और अंतिम समाधान के लिए ऐसे अवधारण के पश्चात् संदेय रकम का विवरण दिया गया है; अतः अब अधिनियम की धारा 135(5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह प्रमाणित किया जाता है कि- (क) घोषणाकर्ता द्वारा उपरोक्त आदेश में अवधारित संदेय रकम और विलंबित संदाय पर संदेय ब्याज के पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए रु. की राशि का संदाय किया गया है। (ख) उक्त घोषणाकर्ता द्वारा प्ररूप 1 में की गई घोषणा को अधिनियम की धारा 139 के प्रयोजनों के लिए विधिमान्य माना जाता है; और (ग) अधिनियम की धारा 130 से धारा 144 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के अधीन कोई कर या शास्ति उदग्रहीत करने से और किसी अपराध के लिए अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान की जाती है।			

टिप्पणी :-

1. किसी व्यक्ति के मामले में, पहला, बीच का और आखिरी नाम बिना किसी संक्षिप्त प्ररूप के पूरा दिया जाएगा। किसी और मामले में भी, नाम पूर्ण रूप में दिया जाएगा।

2. पते में ये बातें होंगी:

- i. देश/क्षेत्र,
- ii. फ्लैट/दरवाजा/भवन,
- iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर,
- iv. पिन/ज़िप कोड,
- v. डाक घर,
- vi. क्षेत्र/इलाका,
- vii. जिला, राज्य

3. जब तक कि अन्यथा उपबंधित न हो, रकम रु. में भरी जाअगी।

4. प्ररूप 4 को एक ही दस्तावेज में जारी करते समय प्ररूप 1, प्ररूप 2 और प्ररूप 3 संलग्न किया जाएगा।

[अधिसूचना सं. 114/2026/फा. सं. 370142/18/2026-टीपीएल]

सैमुअल पिटा, निदेशक (कर नीति और विधान)

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2026

INCOME-TAX

G.S.R. 732(E).— In exercise of the powers conferred by section 143 of the Finance Act, 2026 (4 of 2026), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Foreign Assets of Small Taxpayers- Disclosure Scheme Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the 16th day of August, 2026.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Finance Act, 2026 (4 of 2026);

(b) “Indexed cost of acquisition” shall have the same meaning as assigned to it in section 48 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);

(c) “Form” means a Form appended to these rules;

(d) “section” means a section of the Finance Act, 2026 (4 of 2026) in Chapter IV; and

(e) “valuation date” means the 31st day of March, 2026.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025) or the Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015 (22 of 2015) shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts.

(3) For the purposes of the Act and these rules, “income-tax authority” shall mean the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be.

(4) For the purposes of the Act and these rules, “last date” shall mean the 31st day of December, 2026.

3. Fair market value.— (1) For the purposes of clause (l) of sub-section (1) of section 131 of the Act, the fair market value of the assets shall be determined in the following manner, namely:—

(a) value of bullion, jewellery or precious stone shall be the higher of,—

(i) its cost of acquisition; and

(ii) the price that the bullion, jewellery or precious stone shall ordinarily fetch if sold in the open market on the valuation date for which the assessee may obtain a report from a valuer recognised by the Government of a country or specified territory outside India or any of its agencies for the purpose of valuation of bullion, jewellery or precious stone under any regulation or law:

Provided that the indexed cost of acquisition shall be deemed to be the fair market value where the valuation as per sub-clause (ii) is not carried out;

(b) valuation of archaeological collections, drawings, paintings, sculptures or any work of art (hereinafter referred to as artistic work) shall be the higher of,—

(i) its cost of acquisition; and

(ii) the price that the artistic work shall ordinarily fetch if sold in the open market on the valuation date for which the assessee may obtain a report from a valuer recognised by the Government of a country or specified territory outside India or any of its agencies for the purpose of valuation of artistic work under any regulation or law:

Provided that the indexed cost of acquisition shall be deemed to be the fair market value where the valuation as per sub-clause (ii) is not carried out;

(c) valuation of shares and securities,—

(i) the fair market value of quoted shares and securities shall be the higher of,—

(I) its cost of acquisition; and

(II) the price as determined in the following manner, namely:—

(A) the average of the lowest and highest price of such shares and securities quoted on any established securities market on the valuation date; or

(B) where on the valuation date there is no trading in such shares and securities on any established securities market, average of the lowest and highest price of such shares and securities on any established securities market on a date immediately preceding the valuation date when such shares and securities were traded on such securities market;

(ii) the fair market value of unquoted equity shares shall be the higher of,—

(I) its cost of acquisition; and

(II) the value, on the valuation date, of such equity shares as determined in the following manner, namely:—

$$\text{the fair market value of unquoted equity shares} = [(A + B - L) * (PV)] / (PE)$$

where,

A = book value of all the assets (other than bullion, jewellery, precious stone, artistic work, shares, securities and immovable property) as reduced by,-

(i) any amount of income-tax paid, if any, less the amount of income-tax refund claimed, if any, and

(ii) any amount shown as asset including the unamortised amount of deferred expenditure which does not represent the value of any asset;

B = fair market value of bullion, jewellery, precious stone, artistic work, shares, securities and immovable property as determined in the manner provided in this rule;

L = book value of liabilities, but not including the following amounts, namely:—

(i) the paid-up capital in respect of equity shares;

(ii) the amount set apart for payment of dividends on preference shares and equity shares;

(iii) reserves and surplus, by whatever name called, even if the resulting figure is negative, other than those set apart towards depreciation;

(iv) any amount representing provision for taxation, other than amount of income-tax paid, if any, less the amount of income-tax claimed as refund, if any, to the extent of the excess over the tax payable with reference to the book profits in accordance with the law applicable thereto;

(v) any amount representing provisions made for meeting liabilities, other than ascertained liabilities;

(vi) any amount representing contingent liabilities other than arrears of dividends payable in respect of cumulative preference shares;

PE = total amount of paid-up equity share capital as shown in the balance-sheet;

PV = the paid-up value of such equity shares:

Provided that the indexed cost of acquisition shall be deemed to be the fair market value where the valuation as per item (II) is not carried out;

(iii) the fair market value of an unquoted share and security other than equity share in a company shall be the higher of,—

(I) its cost of acquisition; and

(II) the price that the share or security shall ordinarily fetch if sold in the open market on the valuation date for which the assessee may obtain a report from a valuer recognised by the Government of a

country or specified territory outside India or any of its agencies for the purpose of valuation of share and security under any regulation or law:

Provided that the indexed cost of acquisition shall be deemed to be the fair market value where the valuation as per item (II) is not carried out;

(d) the fair market value of an immovable property shall be the higher of,—

(i) its cost of acquisition; and

(ii) the price that the property shall ordinarily fetch if sold in the open market on the valuation date for which the assessee may obtain a valuation report from a valuer recognised by the Government of a country or specified territory outside India in which the property is located or any of its agencies for the purpose of valuation of immovable property under any regulation or law:

Provided that the indexed cost of acquisition shall be deemed to be the fair market value where the valuation as per sub-clause (ii) is not carried out;

(e) value of an account with a bank shall be, -

(i) the sum of all the deposits made in the account with the bank from the date of opening of the account till the valuation date; or

(ii) where a declaration of such account has been made under Chapter VI of the Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015 (22 of 2015) and the value of the account as computed under sub-clause (i) has been charged to tax and penalty under that Chapter, the sum of all the deposits made in the account with the bank since the date of such declaration:

Provided that where any deposit is made from the proceeds of any withdrawal from the account, such deposit shall not be taken into consideration while computing the value of the account.

Illustration 1:

An assessee had opened a foreign bank account (BA) in 2010. The following deposits and withdrawals were made in BA since then. Assuming that the withdrawals made were later re-deposited into the BA, the value of the asset shall be calculated as follows.

Date	Deposits	Withdrawals	Calculation of value of asset
01.04.2010	\$ 1,000	-	\$ 1,000
01.06.2011	\$ 500	-	\$ 500
01.08.2011	-	\$ 700	-
01.04.2012	\$ 500	-	-
01.08.2013	\$ 500	-	\$ 300
01.04.2019	\$2,500	-	\$ 2,500
01.06.2020	-	\$ 400	-

01.09.2021	\$ 1,000	-	\$ 600
01.05.2024	-	\$ 500	-
	TOTAL		\$ 4,900

The value of this asset, that is, \$ 4,900 will be converted into Rupees as on 31st March, 2026 for the purpose of valuation under these rules.

Illustration 2:

If the above assessee in Illustration 1 had declared the deposits made in the above account under Chapter VI of the Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015 (22 of 2015), the value of the asset shall be the sum of the deposits made since such date. In that case, the value of the asset shall be calculated as follows, assuming that the withdrawals made were later re-deposited into the BA.

Date	Deposits	Withdrawals	Calculation of value of asset
01.04.2019	\$2,500	-	\$ 2,500
01.06.2020	-	\$ 400	-
01.09.2021	\$ 1,000	-	\$ 600
01.05.2024	-	\$ 500	-
	TOTAL		\$ 3,100

The value of this asset that is \$ 3,100 will be converted into Rupees as on 31st March, 2026 for the purpose of valuation under these rules.

(f) value of an interest of a person in a partnership firm or in an association of persons or a limited liability partnership of which he is a member shall be the sum total of the amount allocated to a partner or member determined in the following manner:—

- (i) the net asset of the firm, association of persons or limited liability partnership on the valuation date shall first be determined;
- (ii) the portion of the net asset of the firm, association of persons or limited liability partnership as is equal to the amount of its capital shall be allocated among its partners or members in the proportion in which capital has been contributed by them;
- (iii) the residue of the net asset shall be allocated among the partners or members in accordance with the agreement of partnership or association for distribution of assets in the event of dissolution of the firm or association, or, in the absence of such an agreement, in the proportion in which the partners or members are entitled to share profits;

Explanation.—For the purposes of this clause, the net asset of the firm, association of persons or limited liability partnership shall be $(A + B - L)$, which shall be determined in the manner provided in sub-clause (ii) of clause (c);

(g) valuation of any other asset shall be the higher of,—

(i) its cost of acquisition or the amount invested; and

(ii) the price that the asset would fetch if sold in the open market on the valuation date in an arm's-length transaction:

Provided that the indexed cost of acquisition shall be deemed to be the fair market value where the valuation as per sub-clause (ii) is not carried out.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), where an asset (other than a bank account) was transferred before the valuation date, the fair market value of such asset shall be higher of its cost of acquisition and the sale price:

Provided that where such asset was transferred without consideration or inadequate consideration before the valuation date, the fair market value of the asset shall be higher of its cost of acquisition and the fair market value on the date of transfer.

(3) Where a new asset has been acquired or made out of consideration received on account of transfer of an old asset or withdrawal from a bank account, then the fair market value of the old asset or the bank account, as the case may be, determined in accordance with sub-rule (1) or sub-rule (2) shall be reduced by the amount of the consideration invested in the new asset.

Illustration 1:

A house property (H1) located outside India was bought in 2014 for twenty lakh rupees. It was sold in 2017 for twenty-five lakh rupees which were deposited in a foreign bank account (BA). In 2018 another house property (H2) was bought for thirty lakh rupees. The investment in H2 was made through withdrawal from BA. H2 has not been transferred before the valuation date and its value on the valuation date is fifty lakh rupees. Assuming that the value of BA as computed under clause (e) of sub-rule (1) is seventy lakh rupees, the fair market value (FMV) of the assets shall be as below:

FMV of H1: (Higher of ₹ 20 lakh and 25 lakh) - ₹ 25 lakh (invested in BA) = Nil

FMV of BA: ₹ 70 lakh - ₹ 30 lakh (invested in H2) = ₹ 40 lakh

FMV of H2: (Higher of ₹ 30 lakh and 50 lakh) = ₹ 50 lakh

Illustration 2:

Undisclosed foreign income (FI) of seventy lakh rupees was earned in 2022. An immovable property (FA) located outside India was bought for sixty lakh rupees in 2023. The investment in FA was made through the utilisation of FI. FA has not been transferred before the valuation date and its value on the valuation date is eighty lakh rupees. Given that the value of FI as computed is seventy lakh rupees, the fair market value (FMV) / value of the asset and income shall be as below:

Value of FI: ₹ 70 lakh - ₹ 60 lakh (invested in FA) = ₹ 10 Lakh

FMV of FA: (Higher of ₹ 60 lakh and 80 lakh) = ₹ 80 lakh.

(4) The fair market value of an asset determined in a currency which is one of the permitted currencies designated by the Reserve Bank of India under the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016, shall be converted into Indian currency as per the reference rate of the Reserve Bank of India on the valuation date.

(5) Where the fair market value of an asset is determined in a currency other than one of the permitted currencies designated by the Reserve Bank of India, then, such value shall be converted into United States Dollar on the valuation date as per the rate specified by the Central Bank of the country or jurisdiction in which the asset is located and such value in United States Dollar shall be converted into Indian currency as per the reference rate of the Reserve Bank of India on the valuation date:

Provided that where the Central Bank of the country or jurisdiction in which the asset is located does not specify the rate of conversion from its local currency to United States Dollar then such rate shall be the one as specified by any other bank regulated under the laws of that country or jurisdiction.

Explanation 1.—For the purposes of this rule,—

- (a) "established securities market" means an exchange that is officially recognised and supervised by a Governmental entity in which the market is located and that has a meaningful annual value of shares traded on the exchange;
- (b) "meaningful annual value of shares traded on the exchange" with respect to an exchange means it has an annual value of shares traded on the exchange (or a predecessor exchange) exceeding one billion United States Dollar during each of the three calendar years immediately preceding the valuation date;
- (c) "meaningful volume of trading on an on-going basis" with respect to each class of shares means,—
 - (i) trades in each such class are effected, other than in *de minimis* quantities, on one or more established securities markets on at least sixty business days during the prior calendar year; and
 - (ii) the aggregate number of shares in each such class that are traded on such market or markets during the prior year are at least ten per cent. of the average number of shares outstanding in that class during the prior calendar year;
- (d) "quoted share or security" means the share or security which has a meaningful volume of trading on an on going basis on an established securities market and is regularly quoted by dealers where they actively do offer to, and in fact do, purchase the share from, and sell the share to, customers who are not related to the dealer in the ordinary course of a business;
- (e) "unquoted share and security", in relation to a share or security, means a share or security which is not a quoted share or security.

4. Amount payable by declarant.— Where a declarant files a declaration to the income-tax authority under section 132 of the Act, in respect of assets or income as specified in column (2) of the Table in section 133 of the Act, the amount payable by the declarant shall be as specified in column (3), subject to the conditions in column (4) thereof.

Illustration 1:

- An undisclosed foreign bank account (BA) exists as on 31st March, 2026. The value of BA on that date is ₹60 lakh. The assessee has also earned undisclosed foreign income (FI) of ₹20 lakh during earlier previous years.

- The aggregate value of the undisclosed asset on valuation date and undisclosed foreign income is BA+FI (₹60 lakh + ₹20 lakh = ₹80 lakh), which does not exceed ₹1 crore. Hence, the case is covered under serial number 1 of Table in section 133 of the Act.
- Computation of tax payable:

(i) Tax on undisclosed asset = 30% of ₹60 lakh = ₹18 lakh

(ii) Tax on undisclosed foreign income = 30% of ₹20 lakh = ₹6 lakh

Aggregate tax = ₹18 lakh + ₹6 lakh = ₹24 lakh

- Computation of penalty payable:

100% of aggregate tax = ₹24 lakh

- Total amount payable under section 133 of the Act is; ₹24 lakh (tax) + ₹24 lakh (penalty) = ₹48 lakh.

Illustration 2:

- A plot of land located outside India (FA) was acquired in 2015 from income earned abroad when the assessee was a non-resident. After becoming resident in India, the assessee failed to disclose FA in the relevant Schedule of the return of income.
- The value of FA on the valuation date is ₹3 crore (which does not exceed ₹5 crore). Hence, the case is covered under serial number 2 of Table in section 133 of the Act.
- Amount payable = fee of ₹1 lakh.

Illustration 3:

- Certain units of Mutual Fund (MF) abroad were purchased in 2020 from income offered to tax in India when the assessee was a resident. Subsequently, the assessee failed to disclose MF in the relevant Schedule of the return of income. The value of MF on the valuation date is ₹2.5 crore.
- The assessee also acquired certain quoted shares and securities (QS) on the New York stock exchange in 2022. The value of QS on the valuation date is ₹4 crore.
- The total value of both these assets acquired in year 2020 and 2022, that is, MF + QS is ₹ 6.5 crore which exceeds ₹5 crore. Hence, the case is not covered under the Table in section 133 of the Act and the assessee is not eligible to declare under this scheme.

5. Declaration of asset or income located outside India.— (1) A declaration in respect of any asset or income referred to in section 133 of the Act shall be made electronically in Form 1 to the income-tax authority such that the aggregate value of undisclosed income and undisclosed assets declared under section 133 (Table: Sl. No 1) shall not exceed ₹ 1 crore and the aggregate value of undisclosed assets declared under section 133 (Table: Sl. No 2) shall not exceed ₹ 5 crore.

(2) For the purposes of sub-section (3) of section 134 of the Act, where the fair market value of any asset (other than a bank account) declared in Form 1 is at variance with the value determined by the Assessing Officer or any other income-tax authority during the course of any assessment or inquiry proceedings, such declaration shall be deemed not to be

invalid or void on the ground of misrepresentation, suppression of facts, or furnishing of false material particulars, only on account of such variance, if such variance does not exceed twenty per cent. of the fair market value so declared.

Illustration 1:

S. No.	Nature of Undisclosed Item(s)	Year-wise Details (Illustrative)	Aggregate Value (₹)	Applicable Threshold	Eligibility to Declare
1	Asset + Income	Foreign bank account (Asset) acquired in FY 2021-22: ₹55 lakh (value on 31.03.2026); Foreign income earned in FY 2019-20: ₹25 lakh	₹80 lakh	₹1 crore	Eligible to declare
2	Asset + Income	Foreign property (Asset) acquired in FY 2020-21: ₹90 lakh (value on 31.03.2026); Foreign income earned in FY 2018-19: ₹30 lakh	₹1.20 crore	₹1 crore	Not eligible to declare
3	Income + Income	Foreign income earned in FY 2017-18: ₹40 lakh; Foreign income earned in FY 2020-21: ₹50 lakh	₹90 lakh	₹1 crore	Eligible to declare
4	Income + Income	Foreign income earned in FY 2016-17: ₹70 lakh; Foreign income earned in FY 2019-20: ₹80 lakh	₹1.50 crore	₹1 crore	Not eligible to declare

Illustration 2:

S. No.	Nature of Undisclosed Item(s)	Year-wise Details (Illustrative)	Aggregate Value (₹)	Applicable Threshold	Eligibility to Declare
1	Asset + Asset	Foreign mutual fund acquired in FY 2020-21: ₹2 crore (value on 31.03.2026); Foreign shares acquired in FY 2022-23: ₹2.5 crore (value on 31.03.2026)	₹4.5 crore	₹5 crore	Eligible to declare
2	Asset + Asset	Foreign immovable property acquired in FY 2018-19: ₹3 crore (value on 31.03.2026); Foreign securities acquired in FY 2021-22: ₹3.5 crore (value on 31.03.2026)	₹6.5 crore	₹5 crore	Not eligible to declare

6. Order by income-tax authority.— The income-tax authority shall pass an order referred to in sub-section (1) of section 135 electronically in Form 2, in respect of payment of amount payable by the declarant, along with penalty or fee.

7. Intimation of payment.— The declarant shall make the payment of the amount determined in the order passed by the income-tax authority under sub-section (1) of section 135 electronically, and the intimation of such payment made, including interest, if any, shall be furnished along with proof of payment to the income-tax authority electronically in Form 3.

Illustration:

An undisclosed foreign bank account (FA) exists as on 31st March, 2026. The value of FA on that date is ₹80 lakh. Therefore, the total amount payable under section 133 (Table: Sl. No 1) of the Act is ₹48 lakh.

Assume the order of the income-tax authority under sub-section (1) of section 135 is passed on 22nd September, 2026.

End of the month of order = 30th September, 2026.

(i) Payment within two months:

Last date without interest = 30th November, 2026.

Therefore, if the assessee pays on 25th November, 2026 the amount payable is ₹48 lakh.

(ii) Payment after two months but within additional period:

(A) Payment on 17th December, 2026-

Delay = 1 month (or part thereof) beyond 30th November, 2026.

Interest = 1% of ₹48 lakh = ₹48,000.

Total amount payable = ₹48,48,000.

(B) Payment on 23rd January, 2026-

Delay counted = 2 months (or part thereof) beyond 30th November, 2026.

Interest = 2% of ₹48 lakh = ₹96,000.

Total amount payable = ₹48,96,000.

(C) Payment on 5th February, 2026-

Maximum additional period allowed is four months from 30th September, 2026, that is, up to 31st January, 2027. Since payment is beyond the permitted period, benefit of the Scheme is not available.

8. Order certifying payment.— The income-tax authority shall pass an order, certifying the validity of the declaration in Form 1 and payment by the declarant for the purposes of section 139 of the Act, within one month from the end of the month of the submission of intimation of payment electronically in Form 4.

9. Laying down of procedure, formats and standards.— (1) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall lay down the data structure, standards and procedure of furnishing and verification of the declaration and undertaking, —

(i) under digital signature, if the return of income is required to be furnished under digital signature; or

(ii) through electronic verification code in a case not covered under clause (i),

for declaration in Form 1 under rule 5, order in Form 2 under rule 6, intimation of payment in Form 3 under rule 7 and order certifying validity of declaration and payment in Form 4 under rule 8, including modification in format, if required, to make it compatible for furnishing electronically.

(2) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income- tax (Systems) shall also be responsible for formulating and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the said Forms.

Form 1			
[See rule 5]			
DECLARATION UNDER RULE 5 OF			
THE FOREIGN ASSETS OF SMALL TAXPAYERS- DISCLOSURE SCHEME RULES, 2026			
[REFER CHAPTER-IV OF THE FINANCE ACT, 2026 (4 of 2026)]			
Part - A (Basic Information)			
1.	Details of the declarant		
	(i)	Name	<i>(refer Note 1)</i>
	(ii)	Address	<i>(refer Note 2)</i>
	(iii)	PAN	
	(iv)	Passport Number	<i>(refer Note 3)</i>
	(v)	Passport Details	<i>(refer Note 3)</i> UPLOAD
Part- B (Details of asset or income)			
2.	A.	(i)	Type of asset or income as per column (2) of Table in section 133 <i>(Select one)</i>
			1. undisclosed asset located outside India 2. undisclosed foreign income 3. asset located outside India acquired from income accruing or arising outside India, by an assessee, during the period in which such assessee was a non-resident, but such assets were not declared by him in the relevant schedule in the return of income on becoming a resident 4. asset located outside India acquired from income which has been offered to tax under the Income-tax Act, 1961 by the assessee, but such assets were not declared by him in the relevant schedule in the return of income
		(ii)	Relevant previous year of acquisition of asset or earning of income yyyy-yy
		(iii)	Residential status during year of acquisition of asset or earning of income <i>(Select one)</i>
			1. Resident 2. Non-resident 3. Resident but Not Ordinarily Resident (RNOR)
		(iv)	Any relevant documents showing proof of acquisition of asset or earning of income, as applicable. UPLOAD
		(v)	Nature of assets or income declared <i>(Please select any one)</i>
			A1. Bank account

			A2. Immovable property A3. Jewellery A4. Artistic work A5. Shares and securities A6. Any other asset I1. Any income
	(vi)	Description of assets or income declared	(Fill relevant part of the Annexure)
	B.	Repeat, if required.	
3.	Consolidated Statement of asset or income (as per annexure)		UPLOAD
Part- C (Categorized Summary of Foreign Assets and Income for Valuation)			
4.	(i)	Aggregate fair market value of undisclosed asset located outside India [as per section 133, Table: Sl. No. 1(a)]	
	(ii)	Aggregate fair market value of undisclosed foreign income [as per section 133, Table: Sl. No. 1(b)]	
	(iii)	Combined fair market value of 4(i) and 4(ii) (not exceeding ₹1 crore)	
	(iv)	Aggregate fair market value of asset located outside India as per section 133, [Table: Sl. No. 2(a)]	
	(v)	Aggregate fair market value of asset located outside as per Section 133, [Table: Sl. No. 2(b)]	
	(vi)	Combined fair market value of 4(iv) and 4(v) (not exceeding ₹5 crore)	
Part-D (Amount payable)			
5.	Aggregate amount payable on asset or income given in Row No. 4(i) and 4(ii) (@ 60% of item 4(iii))		
6.	Total fee payable on asset given in Row No. 4(iv) and 4(v) [enter Nil or ₹ 1 lakh]		
7.	Aggregate amount payable [5+6]		
VERIFICATION I _____ (name of the declarant), having Permanent Account Number _____, solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in this declaration is correct and complete. I understand that any misrepresentation or suppression of facts will render this declaration as void. I also certify that the provisions of section 140 of the Finance Act, 2026 are not attracted in respect of this declaration. Date:			

Place:	Signature:
Name:	

Note :—

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, the name shall be provided in full.
2. The address shall contain
 - i. Country/Region,
 - ii. Flat/Door/Building,
 - iii. Road/Street/ Block/Sector,
 - iv. PIN/ZIP Code,
 - v. Post Office,
 - vi. Area/locality,
 - vii. District,
 - viii. State
3. The details of passport shall be filled if the declarant claims to be a non-resident in any of the years for which declaration is made.
4. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.
5. Where valuation is not carried out, the indexed cost of acquisition will be deemed to be the fair market value.

Annexure to Form 1

Statement of assets or income located outside India

A1.	Bank account	
	(a)	Name of Bank
	(b)	Address of Bank
	(c)	Country of location
	(d)	Account holder name(s)
	(e)	Account Number
	(f)	Account opening date
	(g)	Sum of all credits in the account

	(h)	Fair market Value as per Rule 3					
		[Provide separate computation if different from (g)]					
A2.	Immovable property (<i>attach valuation report</i>, if applicable)						
	(a)	Nature of property (land/building/flat etc.)					
	(b)	Address of the property					
	(c)	Country of location					
	(d)	Name(s) under which held					
	(e)	Date of acquisition					
	(f)	Total acquisition cost					
	(g)	Indexed cost of acquisition					
	(h)	Value as estimated by the valuer on valuation date, if applicable					
	(i)	Fair market value as per Rule 3					
A3.	Jewellery (<i>attach valuation report</i>, if applicable)						
	(a)	Gold					
	(I)	Purity		Weight		Value	
	(II)	Purity		Weight		Value	
	Repeat, if required.						
	(b)	Diamond (1 carat or more)					
	(b1)	Country of purchase					
	(I)	Carat		Cut		Colour	Clarity
	(II)	Carat		Cut		Colour	Clarity
	Repeat, if required.						
	(c)	Diamond (less than 1 carat) and other					Value
	(d)	Other precious metals					Value
	(e)	Country of purchase					
	(f)	Date of acquisition					
	(g)	Total acquisition cost					
	(h)	Indexed cost of acquisition					
	(i)	Value of jewellery as estimated by the valuer, if applicable					

	(j)	Fair market value of jewellery as per Rule 3		
A4.	Artistic work (<i>attach valuation report</i>, if applicable)			
	(a)	Nature of artistic work		
	(b)	Country of location		
	(c)	Name(s) under which held		
	(d)	Date of acquisition		
	(e)	Cost of acquisition		
	(f)	Indexed cost of acquisition		
	(g)	Value of artistic work as estimated by the valuer, if applicable		
	(h)	Fair market value as per Rule 3		
A5.	Shares and securities			
	(a)	Quoted shares and securities [Rule 3(1)(c)(i)]		
	(i)	Description of security/share		
		(A)	Name of issuer	
		(B)	Number of securities/shares	
		(C)	Type of security/share	
	(ii)	Established securities market where quoted		
	(iii)	Country where securities market located		
	(iv)	Name(s) under which held		
	(v)	Cost of acquisition		
	(vi)	Date(s) of acquisition		
	(vii)	Value as determined under Rule 3(1)(c)(I)		
	(viii)	Date of valuation		
	(ix)	Fair Market value as per Rule 3		
	(b)	Unquoted equity share [Rule 3(1)(c)(ii)] (<i>attach valuation report</i> , if applicable)		
	(i)	Description of share		
		(A)	Name of issuer	
		(B)	Number of shares	
		(C)	Type of share	

	(ii)	Country of location		
	(iii)	Name(s) under which held		
	(iv)	Date(s) of acquisition		
	(v)	Cost of acquisition		
	(vi)	Indexed cost of acquisition		
	(vii)	Value as determined under Rule 3(1)(c)(II), if applicable		
	(viii)	Date of valuation		
	(ix)	Fair market value as per Rule 3		
	(c)	Unquoted shares and securities other than equity shares in a company [Rule 3(1)(c)(iii)] (<i>attach valuation report, if applicable</i>)		
	(i)	Description of security/share		
		(A)	Name of issuer	
		(B)	Number of securities/shares	
		(C)	Type of security/share	
	(ii)	Country of location		
	(iii)	Name(s) under which held		
(iv)	Date(s) of acquisition			
(v)	Cost(s) of acquisition			
(vi)	Indexed cost of acquisition			
(vii)	Value as determined under Rule 3(1)(c)(I), if applicable			
(viii)	Date of valuation			
(ix)	Fair Market value as per Rule 3			
A6.	Any other asset (<i>attach valuation report, if applicable</i>)			
	(a)	Description of asset		
	(b)	Country of location		
	(c)	Name(s) under which held		
	(d)	Date(s) of acquisition		
	(e)	Cost(s) of acquisition		
	(f)	Indexed cost of acquisition		

	(g)	Value as determined under Rule 3(1), if applicable	
	(h)	Date of valuation	
	(i)	Fair market value as per Rule 3	
II.	Any income		
	(a)	Type of income	
	(b)	Country of location where income was earned	
	(c)	Amount of income earned	

Form 2 [See rule 6] ORDER UNDER RULE 6 OF THE FOREIGN ASSETS OF SMALL TAXPAYERS- DISCLOSURE SCHEME RULES, 2026 <i>[REFER CHAPTER-IV OF THE FINANCE ACT, 2026 (4 of 2026)]</i>							
Part - A (Basic Information)							
1. Details of the declarant							
	(i)	Name	<i>(refer Note 1)</i>				
	(ii)	Address	<i>(refer Note 2)</i>				
	(iii)	PAN					
Part- B (Amount Payable)							
2.	Details of the asset or income declared under section 133 (Table: Sl.No 1)		Nature of asset/income	Relevant previous year of acquisition of asset or earning of income	Fair Market value	Description	Location
	(i)	Asset/Income	A1. Bank account A2. Immovable property A3. Jewellery A4. Artistic work				

		A5.1 Quoted shares and Securities A5.2 Unquoted equity share A5.3. Unquoted shares and securities other than equity shares in a company A6. Any other asset I1. Any income				
	(ii)	(Repeat as required)				
	(iii)	Aggregate fair market value		(refer Note 3)		
3	Aggregate amount payable	(refer Note 3)				
4.	Details of the asset declared under section 133 (Table: Sl.No 2)	Nature of asset (select one)	Relevant previous year of acquisition of asset	Fair Market value	Description	Location
	(i)	Asset A1. Bank account A2. Immovable property A3. Jewellery A4. Artistic work A5.1 Quoted shares and Securities A5.2 Unquoted equity share A5.3. Unquoted shares and securities other than equity shares in a company				

		A6. Any other asset				
(ii)	(Repeat as required)					
(iii)	Aggregate fair market value			(refer Note 3)		
5.	Total fee payable	(refer Note 3)				
6.	Aggregate amount payable [3 + 5]	(refer Note 3)				
Part- C [Order under section 135(1)]						
In exercise of the powers conferred by section 135(1) of the Finance Act, 2026 and based on the information submitted by the declarant in Form 1, the declarant is hereby directed to make the payment of sum payable, if any, as mentioned in row 6 within two months from the end of the month of receipt of this certificate. In case of payment made after the period mentioned in (a) above, the amount shall be paid along with interest at the rate of 1% per month (or part thereof) within a further period not exceeding two months from the end of the period mentioned in (a) above. In case of non-payment of amount payable within the time mentioned in (b) above, the declaration under Form-1 shall be treated as void and shall be deemed never to have been made. Order No.: Date:						

Note :—

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, the name shall be provided in full.
2. The address shall contain
 - i. Country/Region,
 - ii. Flat/Door/Building,
 - iii. Road/Street/ Block/Sector,
 - iv. PIN/ZIP Code,
 - v. Post Office,
 - vi. Area/locality,
 - vii. District,
 - viii. State
3. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

Form 3 [See rule 7] INTIMATION OF PAYMENT UNDER RULE 7 OF THE FOREIGN ASSETS OF SMALL TAXPAYERS- DISCLOSURE SCHEME RULES, 2026 <i>[REFER CHAPTER-IV OF THE FINANCE ACT, 2026 (4 of 2026)]</i>				
Part - A (Basic Information)				
1. Details of the declarant				
(i)	Name	(refer Note 1)		
(ii)	Address	(refer Note 2)		
(iii)	PAN			
Part- B (Timeline of payment)				
2.	(i)	Date of receipt of order in Form - 2	dd-mm-yyyy	
	(ii)	Aggregate amount payable as per row 6 in Form-2	(refer Note 3)	
	(iii)	Initial due date <i>(two months from the end of the month of receipt of Form-2)</i>	dd-mm-yyyy	
	(iv)	Amount paid on or before the date mentioned in (iii) (Part payment made, if any) <i>(Select one)</i>	(refer Note 3)	
	(v)	Outstanding Amount <i>(Amount remaining unpaid after Initial Due Date)</i> [2(ii) minus 2(iv)]	(refer Note 3)	
Row 3 is to be filled only if there is an Outstanding Amount in 2(v)				
3.	Sl No.	Number of months (or part thereof) by which payment is delayed beyond initial due date	Outstanding amount paid	Additional interest payable @ 1% per month on the outstanding amount.
	(i)		(refer Note 3)	(refer Note 3)
	(ii)		(refer Note 3)	(refer Note 3)
<i>Repeat, if required</i>				
Aggregate interest payable				

Part- C (Intimation of payment)					
4.	SI No.	BSR Code of Bank	Date of Deposit	SI No. of Challan	Amount Paid
	(i)		dd-mm-yyyy		(refer Note 3)
	(ii)		dd-mm-yyyy		(refer Note 3)
	(iii)		dd-mm-yyyy		(refer Note 3)
	(iv)		dd-mm-yyyy		(refer Note 3)
Repeat, if required					
Aggregate amount paid					(refer Note 3)
Declaration In accordance with the provisions of section 135(4) of the Finance Act, 2026, and in pursuance of the order received from designated authority in Form-2 vide Order No. _____ dated _____ in respect of _____ (Name of the declarant), having PAN _____, this intimation is hereby made. I solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in this declaration is correct and complete. Date: _____ Place: _____ Signature: _____ Name: _____					

Note :—

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, the name shall be provided in full.
2. The address shall contain
 - i. Country/Region,
 - ii. Flat/Door/Building,
 - iii. Road/Street/ Block/Sector,

- iv. PIN/ZIP Code,
- v. Post Office,
- vi. Area/locality,
- vii. District,
- viii. State

3. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.

4. Additional interest at the rate of one per cent for every month or part thereof shall be payable for the period exceeding the initial two months, subject to a maximum of two additional months, in accordance with section 135 (3) of the Act.

5. Payments under the scheme can be made in parts.

Form 4		
[See rule 8]		
<u>ORDER CERTIFYING VALIDITY OF DECLARATION AND PAYMENT OF AMOUNT UNDER</u> <u>RULE 8 OF THE</u> <u>FOREIGN ASSETS OF SMALL TAXPAYERS- DISCLOSURE SCHEME RULES, 2026</u> <u>[REFER CHAPTER-IV OF THE FINANCE ACT, 2026(4 of 2026)]</u>		
Part - A (Basic Information)		
1. Details of the declarant		
(i)	Name	(refer Note 1)
(ii)	Address	(refer Note 2)
(iii)	PAN	
2 Details of payment		
(i)	Amount determined to be payable	(refer Note 3)
(ii)	Order No (Form 2)	
(iii)	Date of Order (Form 2)	
(iv)	Interest payable, if any (from Form 3)	(refer Note 3)

(v)	Amount paid by the declarant [(i)(refer Note 3) +(iv)]	
Part- B [Order under section 135(5)]		
Whereas..... (Name of the declarant) (hereinafter referred to as declarant) having PANhad made a declaration datedwith Acknowledgement number..... under section 132 of the Finance Act, 2026 (the Act); And whereas the prescribed income tax authority by order No. dated determined the amount of rupees payable by the declarant in accordance with the provisions of the Act, setting forth therein the particulars of the amount payable after such determination towards full and final settlement of such amount payable; Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 135(5) of the Act, it is hereby certified that- (a) a sum of ₹ has been paid by the declarant towards full and final settlement of amount payable determined in the aforementioned order and interest chargeable on delayed payment. (b) the declaration made by the said declarant in Form 1 is held to be valid for the purposes of section 139 of the Act; and (c) immunity is granted, subject to the provisions contained in the sections 130 to 144 of the Act, from levy of any further tax or penalty and prosecution for any offence under the Black money (Undisclosed Foreign income and assets) and Imposition of tax Act, 2015.		

Note :—

1. In case of individual, the first, middle and last name shall be provided in full without any abbreviations. In any other case also, the name shall be provided in full.
2. The address shall contain
 - i. Country/Region,
 - ii. Flat/Door/Building,
 - iii. Road/Street/ Block/Sector,
 - iv. PIN/ZIP Code,
 - v. Post Office,

- vi. Area/locality,
 - vii. District, State
3. Amounts to be filled in ₹ unless otherwise provided.
 4. Form 1, Form 2 and Form 3 shall be annexed while issuing Form 4 in a single document.

[Notification No. 114/2026/F.No. 370142/18/2026-TPL]

SAMUEL PITTA, Director (Tax Policy and Legislation)